

**फर्द अहकाम**

कार्यालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

प्रार्थी :- पटवारी, पटवार मण्डल कियावास  
किस्म मुकदमा :- प्रार्थना पत्र

विपक्षी :- तहसीलदार नाथद्वारा  
पत्रावली संख्या :- 19/2020 प्रा.पत्र

दिनांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं
20.02.20	<p>तहसीलदार नाथद्वारा से प्राप्त पटवारी, पटवार मण्डल कियावास का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 जिसमें राजस्व ग्राम चालिया तहसील नाथद्वारा की जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 के खाता संख्या 16 में सभी खातेदारों के हिस्से का योग 3/4 ही आ रहा है। ग्राम चालिया की भू-प्रबन्ध (सेटलमेन्ट) की जमाबन्दी संवत् 2031 में भी सभी खातेदारों का हिस्सा 3/4 ही है। इस प्रकार 1/4 हिस्सा सेटलमेन्ट से ही कम है। ग्राम चालिया के सेटलमेन्ट जमाबन्दी का मिलान ग्राम चालिया के सेटलमेन्ट विभाग के खसरा पत्रक संवत् 2025 एवं भू-प्रबन्ध विभाग के फर्द इख्तलाफ खसरा, खसरा परिशोधन पत्र की क्रम सं. 17 से करने पर पाया कि खातेदार मे भेरा पिता धना 1/4 गुजर सा. देह की प्रविष्टि वर्तमान सेटलमेन्ट जमाबन्दी में दर्ज नहीं है। अतः वर्तमान जमाबन्दी ग्राम चालिया संवत् 2074-77 के खाता सं. 16 में वर्तमान खातेदारों के साथ भेरा पिता धन्ना 1/4 गुजर सा. देह जोडा जाने हेतु निवेदन किया गया है तथा पटवारी हल्का कियावास व तहसीलदार नाथद्वारा की रिपोर्ट द्वारा शुद्धि की अनुशंषा की गई है।</p> <p>प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन एवं पटवारी हल्का कियावास व तहसीलदार नाथद्वारा की अनुशंषा रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आदेश सुनाया जाता है।</p> <p style="text-align: center;"><b>आदेश</b></p> <p>(राजस्व (ग्रुप-6) विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक:- 4(1)राज-6/2002/19 दिनांक 18.6.2007 के तहत)</p> <p>प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दस्तावेज तथा इस बाबत हल्का पटवारी की रिपोर्ट व तहसीलदार/ सहमति के आधार पर राजस्व चालिया की जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 के खाता संख्या 16 में वर्तमान खातेदारों के साथ <b>भेरा पिता धन्ना 1/4 गुजर सा. देह</b> अंकित करने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद हेतु प्रति हल्का पटवार कियावास को मार्फत तहसीलदार नाथद्वारा भेजी जावें। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: center;"><b>उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा जिला राजसमन्द</b></p>	

